

संज्ञा गहनत्वपूर्ण होती है

दिखाई पड़ने पर भी अपने को बतार रखने की अपरिपक्व प्रवृत्ति व्यक्त करते हैं।
प्रत्येक सामाजिक इकाई अपने भीतर सदस्यों के कार्यों तथा अभिवृत्तियों में
तब्दीली कर इस स्वरूप को कायम रखने की कोशिश करते हैं।

2. लक्ष्य सम्प्राप्ति :- (Goal attainment) सामाजिक व्यवस्था में लक्ष्यों की
सम्प्राप्ति के लिए समान उद्देश्यों पर सहमति तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु संसाधनों
का पवटन अपेक्षित है। यह कार्य राज्य-व्यवस्था के माध्यम से सम्पन्न
होता है। यहां ध्यान देना होगा कि 'लक्ष्य सम्प्राप्ति' तथा 'अभ्यनुकूलन' में
मध्य में जो अंतर है वह पूर्णतः सापेक्षिक है।

अभ्यनुकूलन :- (Adaptation) प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का उसके
सामाजिक एवं अन्य प्रकार के पर्यावरण से एक विशेष रिश्ता बनता है।
इसी ही अभ्यनुकूलन की संज्ञा दी जाती है। स्मरणीय है कि अभ्यनुकूलन
में पर्यावरणजन्य परिस्थितियों से बचने के लिए एक निष्क्रिय अभियोजन
पत्र ही नहीं द्योतित होता प्रत्युत इसमें अनेकानेक ऐसी क्षमताओं के
विकास का बीज होता है जिनके जरिए व्यक्ति अपने अपने पर्यावरण के
चुनौतियों का सामना कर पाता है और उससे अपना समझौता कायम
करता है।

एकीकरण :- (Integration) किसी भी सामाजिक व्यवस्था में उसके
अंगों के मध्य व्याप्त विभेदीकरण के फलस्वरूप एकीकरण की क्षमता
मनुभूत होती है। कुछ हद तक पूरी व्यवस्था के अंगों को एक दूसरे
के प्रति तथा पूरी व्यवस्था के प्रति भी वफादार होना पड़ता है। हमारे नि
में पूरे समाज के लक्ष्य तथा द्वि अधिकतम सदस्यों के मालिक में उ
स्वतंत्रता से नहीं छाने रहते हैं जितना कि उनके छोटे वर्गों के लक्ष्य
वह अभिप्रेरित करते हैं।

पूर्व विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि इस
द्वारा समाज को एक पूरी व्यवस्था मानना जिसमें विभिन्न प्रकार
के अंगों के रूप में कार्यशील हों। परिणामस्वरूप
समाज में व्यक्ति या समूहों की अपेक्षा समाज पर विशेष बल